उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 2941-औस-17/पा0का0लि/2001-11(11)एफ/86टी.सी.   दि0 12 सितम्बर 2001

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक
मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत)/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग
/जाँच समिति
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0

विषय: अपोलो अस्पताल दिल्ली तथा शंकर नेत्रालय, चेन्नई को कारपोरेशन के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णत: आश्रित परिजनों के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में.

महोदय,

पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं0 2277-डब्लू.सी./राविप(औरा-19)/96-11/7एफ/86 दिनांक 11.3.96 एवं सं0 989/औस-17/राविप-11(7एफ/86 दिनांक 2.2.98 जिसके द्वारा अपोलो अस्पताल, दिल्ली को पूर्ववर्ती परिषद द्वारा परिषद के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णत: आश्रित परिजनों के क्रमश: कैंसर एवं हृदय रोग के उपचार कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की गयी थी, के अनुक्रम में, सम्यक विचारोपरान्त कारपोरेशन द्वारा उक्त चिकित्सालय को समस्त व्याधियों/बीमारियों के उपचार/चिकित्सा हेतु स्वीकृति तथा शंकर नेत्रालय चेन्नई को कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णत: आश्रित परिजनों की नेत्र चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्द्वारा कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं0 2088-एन.जी.-2/राविप(चार)29एन.जी.-2/79 दिनांक 24.5.78 एवं समय समय पर निर्गत पूर्व परिषद / कारपोरेशन के आदेशों में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन)

सं0 2941-1-औस-17/पाकालि/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री जी उ0प्र0शासन, लखनऊ
2. महाप्रबन्धक लेखा(उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी उ0प्र0पा0का0लि0
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ
7. अनुसचिव(कार्मिक एवं वित्त नीति) उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
8. प्रबन्धक, अपोलो अस्पताल दिल्ली
9. प्रबन्धक, शंकर नेत्र चिकित्सालय, चेन्नई

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी